सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

3 Ashadh , 1943 (S)

No. 320

RANCHI, Thursday, 24th June, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Notification No. 09/2021 – State Tax

S.O. No. 37, Dated 23rd June, 2021-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 76/2018– State Tax, dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 18, dated the 24th January, 2019, namely:–

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:-

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021 and April, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021 and April, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April, 2021.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated 24th January, 2019, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 18, dated the 24th January, 2019 and was last amended *vide* notification number 57/2020 – State Tax, dated the 04th September, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 75, dated the 04th September, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या - 09/2021-राज्य **कर**

एस. ओ. सं. 37, दिनांक 23 जून, 2021-- सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग-की अधिसूचना सं॰ 76/2018-राज्य कर, दिनांक 24 जनवरी 2019, जिसे एस. ओ. सं .18, दिनांक 24 जनवरी 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के सातवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए है, जो **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे है, निम्न तालिका के स्तंभ(3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात् –

तालिका

क्र.सं. **(1)**	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग** **(2)**	**कर अवधि** **(3)**	**सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया** **(4)**
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021 और अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च 2021 और अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक

3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 76/2018, दिनांक 24 जनवरी 2019 को एस. ओ. सं.18, दिनांक 24 जनवरी 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं॰ 57/2020- राज्य कर, दिनांक 04 सितम्बर, 2020, जिसे एस. ओ. सं. 75, दिनांक 04 सितम्बर, 2020, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 320 -- 50